


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 438/2015.....जिला.....जयपुर.....

उनवान- भवानी सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह, सुजानगढ, चूरु बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन
जाम-तृतीय वार्ड-प्रथम, जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुकम की तामीत में जारी हुए
09.04.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मदन लाल - सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक अनुपस्थित व प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री आर.के. अजमेरा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमेनेस्टी योजना, 2015 का लाभ लेना चाहते है, इस हेतु प्रकरण वापस (Withdraw) लेना चाहते है।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी व्यवसायी के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील संख्या 438/2015/जयपुर को विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right;">  9.4.2015 (मदन लाल) सदस्य </div>	